


| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| वादी | उपस्था | वादी | उपस्था |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. पट्टा के लिए स्टाम्प 4. ... कपड़े पर प्लीजर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-खर्च 6. कानूनर की फीस 7. आदेशिका की गार्जिल | वादी पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीजर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह खर्च आदेशिका की गार्जिल कानूनर की फीस | उपस्था | उपस्था |
| वादी | प्रतिवादी | वादी | प्रतिवादी |

वाद के खर्चे



श्री 108
उपखंड अधिकारी
(पीठासीन अधिकारी)
(बैलेष सराणा)

9/6/17

दी गई। यह आज तारीख 9/6/17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

ख्यात पक्षकारान अर्पना-अर्पना करने के लिए।

[Handwritten text in blue ink, mostly illegible due to blurring and bleed-through from the reverse side of the page.]

को बैलेष सराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखंड अधिकारी अधिमंडल के समक्ष अनिमित्त

निपटरे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और इसी दिनांक में इस वाद में आज तारीख 9/6/17

वादी की ओर से उपस्थित होने पर प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :- 9/6/17

सिकंदर नाम नम्बर :- 108/2017

दावा बाधक धारा 108/2017

अर्पित
रजधान
नाम
दिनांक

पीठासीन अधिकारी :- श्री 108 (RAS)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कम कौट)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर अधिमंडल

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

मूल वाद में इसी